कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज

उत्तर प्रदेश जल निगम

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय :- टी.सी.-38-वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ-226010

फोन: +91 522 2728985 फैक्स: +91 522 2728988

Visit us at: www.cdsupjn.org e-mail: director@cdsupjn.org

पत्रांक: 2500 / जी-2 / 139 दिनांक: 31.7.17

अतिमहत्वपूर्ण

कार्यालय-ज्ञाप

इस कार्यालय के विभिन्न पत्रों द्वारा कार्यस्थलों पर सुरक्षा के उपाय अपनाये जाने के निर्देश दिये जाते रहे है। मुख्यालय स्तरीय अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान प्रायः पाया जाता है कि फील्ड इकाइयों द्वारा समुचित सुरक्षात्मक उपाय तथा सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग नही किया जाता है, जिनके अभाव में दुर्घटना की संभावना हर समय बनी रहती है। एक अध्ययन के अनुसार निर्माण स्थलों पर 56% दुर्घटनायें ऊँचाई से गिरने, 21% दुर्घटनायें किसी भारी वस्तु के गिरने के कारण 10% दुर्घटनायें वाहनों के कारण 5% दुर्घटनायें विद्युत से एवं शेष दुर्घटनायें विविध कारणोंवश होती है। कार्यस्थलों पर अपनाये जाने वाले कतिपय सुरक्षा उपाय निम्नानुसार है, जिनका अनुपालन कर कार्यस्थल पर सम्भावित दुर्घटनाओं पर रोकथाम लगायी जा सकती है:-

1. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि ओवर हेड पावर लाइन से पर्याप्त दूरी बनी रहे। कान्क्रीट मिक्सिंग मशीन या अन्य ऊँचाई वाली अन्य मशीनरी को निर्माणाधीन परिसर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में ओवरहेड पावर लाइन से समुचित दूरी (horizontal and vertical) अवश्य बनाये रखा जाये, ताकि दुर्घटना की संभावना न हो।
2. कार्यस्थल पर फ्लोरोसेंट पेंट से लाल रंग में चेतावनी बोर्ड विभिन्न स्थानों पर विशेषतया जहां दुर्घटना की संभावना हो, लगवाये जाये। जिन स्थानों पर दुर्घटना की संभावना हो जैसे- लिफ्ट वैल, स्लैब में खाली जगह, बॉल्कनी व सीढ़ियों के बाहरी किनारे इत्यादि स्थानों पर मजबूत बैरीकेडिंग की व्यवस्था की जायें।
3. नींव की खुदाई के समय यह ध्यान रखा जाये कि गहराई 1.25 मी0 से अधिक होने पर खुदाई के समय समुचित सावधानियाँ बरती जायें तथा ट्रेंच के पास से कोई भी भारी वाहन के मूवमेंट न किया जाये, अन्यथा ट्रेंच collapse होने का डर होता है। यह ध्यान रखा जाये कि प्रायः ट्रेंच अचानक ही collapse हो जाती है, जिससे बचाव का अवसर नही मिल पाता है। यदि 1.50 मी0 से ज्यादा गहराई की खुदाई की जाती है तो Timbering की व्यवस्था की जाये।
4. प्रायः अधिक गहराई के स्थानों जैसे सैप्टिक टैंक, अंडर ग्रांउड टैंक, मैनहोल चैम्बर इत्यादि में ऑक्सीजन का अभाव होता है, जिस कारण श्रमिकों के दम घुटने की संभावना रहती है। ऐसे स्थानों पर कार्य करने के पूर्व मास्क एवं ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था पूर्व से ही कर ली जाये ताकि दुर्घटना से बचा जा सके।
5. कार्यस्थल पर सीढ़ियां मजबूती से लगायी जाये तथा उन पर एक बार में एक व्यक्ति से अधिक नही होना चाहिए, न ही सीढ़ियां के माध्यम से चढ़ाई करते समय किसी भी दिशा में झुकने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा सीढ़ियों से गिर जाने का भय बना रहता है।
6. स्लैब, बीम की शटरिंग, सर्पोट सिस्टम एवं स्कैफोल्डिंग की मजबूती का कान्क्रीट की ढलाई के पूर्व परीक्षण कर लिया जाये, ताकि स्लैब ढालते समय किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न हो।
7. कार्यस्थल पर निजी रक्षात्मक उपकरण जैसे हेलमेट, दस्ताने, शेफ्टी बैल्ट, शेफ्टी जूते, यथाआवश्यकता सुरक्षा चश्मा, माऊथ मास्क, परावर्ती रंग की जैकेट, फर्स्ट ऐड किट इत्यादि अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे तथा श्रमिकों द्वारा इनका प्रयोग भी सुनिश्चित किया जाये।
8. प्रायः देखा जाता है कि श्रमिकों द्वारा भवन के ऊँचाई वाले हिस्से में प्लास्टर करते समय अथवा रंगाई-पुताई के समय व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु पर्याप्त सावधानी नही बरती जाती है। उन्हें प्रशिक्षित किया जाये कि अधिक ऊँचाई पर कार्य करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जायें।
9. श्रमिकों द्वारा कार्य करने के तरीके में शॉर्टकट न अपनाकर रैम्प जीनों, आने-जाने के रास्तों एवं सीढ़ी का ही प्रयोग किया जायें।
10. कार्यस्थल पर आपदा की परिस्थिति में एक असेम्बली प्वाइंट चिन्हित किया जाये, जहां पर कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिक एवं अन्य कार्मिक सुरक्षा हेतु एकत्र हो सकें।

कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज

उत्तर प्रदेश जल निगम

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय :- टी.सी.-38-वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ-226010

फोन: +91 522 2728985 फैक्स: +91 522 2728988

Visit us at: www.cdsupjn.org e-mail: director@cdsupjn.org

पत्रांक: ..... / / दिनांक: .....

11. निर्माणाधीन भवन के चारों ओर पर्याप्त चौड़ाई में तथा अन्दर की पूरी खुली जगह में मजबूत जाल बांधने की व्यवस्था की जायें ताकि अचानक कोई सामान या व्यक्ति के गिरने पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकें।
12. चलने के किसी भी स्थान पर अव्यवस्थित रूप से मलबा, अन्य सामग्री पड़ा नही होना चाहिए, न ही वहां पर पानी एकत्र होने देना चाहिए।
13. प्रायः महिला श्रमिकों द्वारा अपने छोटे बच्चों को कार्यस्थल पर लाया जाता है। उनकी सुरक्षा हेतु एक सुरक्षित स्थान चिन्हित कर लिया जाये। तात्पर्य यह है कि बच्चों को निर्माण के कार्यक्षेत्र में न आने दिया जायें।
14. चालू मशीनरी की सुरक्षा पट्टियाँ, जाली/गॉर्ड इत्यादि हमेशा लगी रहने दी जाये, इसमें लापरवाही की स्थिति में शरीर के अंग को नुकसान हो सकता है, या कोई वस्तु गिरने से मशीन में टूट-फूट भी हो सकती है।
15. ज्वलनशील वस्तु के आस-पास किसी प्रकार की चिंगारी पैदा न होने दी जायें।
16. यथासंभव चालू विद्युत लाइन की स्थिति में कार्य के समय कम से कम दो श्रमिक एक साथ होने चाहिए, ताकि आपदा की परिस्थिति में उनमें से एक बचाव की कार्यवाही कर सकें। कार्य हेतु पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हों तथा कार्य के समय श्रमिक के कपड़े एवं उपकरण गीले न हों। कार्यस्थल से गुजर रही विद्युत केबिल का नियमित परीक्षण किया जाये, ताकि कहीं पर उनके कटे होने की स्थिति में सुरक्षा उपाय समय रहते किया जा सकें। विद्युत केबिल जमीन से ऊपर एवं पानी से दूर होना चाहिए। विद्युत सर्किट में ओवरलोडिंग से बचा जाना चाहिए।
17. नलकूप बोरिंग हेतु तैयार किये गये/जा रहे बोरवेल एवं पाइलिंग हेतु तैयार किये पिट को हमेशा ही बंद रखा जाये।
18. अधिक ऊँचाई वाली बल्ली से बनायी गये स्कैफोल्डिंग में cross member का प्रयोग किया जाये। प्रायःदेखा जाता है कि स्कैफोल्ड लगाने हेतु दीवार में छेद छोड़े जाते है, इनका उपयोग स्कैफोल्डिंग हेतु किया जाता है। यह ध्यान रखा जाये कि मैसॉनरी कॉलम, 1 मी0 से कम चौड़ाई के दीवार के किसी भाग में अथवा दीवार के किसी ऐसे भाग में जहां पर concentrated load हो, स्कैफोल्डिंग के सर्पोट हेतु छेद न छोड़े जाये।
19. शटरिंग खोलने जाते समय IS:456, 2000 में वर्णित समयावधि का निश्चित रूप से पालन किया जाये।
20. प्रायः देखा जाता है कि ऊपरी छत की ढलाई करते समय पूर्व में ढली हुई निचली छत के नीचे कोई सर्पोट नही दिया जाता है, जबकि निचली छत की सुरक्षा हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है। इसका अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये।

उपरोक्त का अनुपालन फील्ड इकाइयों द्वारा दृढ़तापूर्वक किया जाये।

(राजेश मित्तल)
निदेशक

पृ0स0एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0,उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ/नोएडा।
2. समस्त महाप्रबन्धक(नि-), सी0एण्ड डी0एस0,उ0प्र0 जल निगम।
3. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट- ,सी0एण्ड डी0एस0,उ0प्र0 जल निगम।
4. परियोजना प्रबन्धक (तकनीकी), सी0एण्ड डी0एस0,उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. ई0डी0पी0 सेल को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निदेशक कैम्प गार्ड फाइल।

निदेशक